



बिहार स्टेट रोड डेवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई—कटिहार एट पूर्णिया

पता— C/O श्री प्रहलाद कुमार, सिंह, सिविल्स, प्रावरडीह के नजदीक, एन० एच०-31 बायपास, पूर्णिया-854303
ईमेल आईडी: dgmptukatihar@gmail.com मो०- 9431306716

पत्रांक: 456 (375)/पूर्णियों
प्रेषक,

दिनांक: 06/11/2023

उप महाप्रबंधक (तक०),
पी०आई०यू० कटिहार एट पूर्णियों।

सेवा में,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)—सह—
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— राज्य उच्च पथ सं०- 99 (बायसी—बहादुरगंज—दिघलबैंक) पथ उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु (0+00 कि० मी० से 45+280 कि०मी०) तक Protected-Forest पथांश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 69.178 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्र संख्या— व०स०/27/2017-744, दिनांक—19.10.2023
2. MOEFCC, IRO, Ranchi के पत्रांक—FP/BR/Road/21381/2016/1468, दिनांक— 04.10.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य उच्च पथ सं०- 99 (बायसी—बहादुरगंज—दिघलबैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु (0+00 कि० मी० से 45+280 कि०मी०) तक Protected-Forest पथांश का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 69.178 हे० वन भूमि अपयोजन 69.178 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर MOEFCC रांची के प्रसंगाधीन पत्र (2) के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त APCCF (CAMPA) -cum- Nodal officer(FC), EFCC Department, Bihar, Patna के प्रसंगाधीन पत्र (1) के द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ₹ 3,23,29,494/- (रुपये तीन करोड़ तेईस लाख उनतीस हजार चार सौ चौरानवे) मात्र एवं नेट प्रजेंट भैल्यू (NPV) के मद में राशि ₹ 7,14,93,958/- (रुपये सात करोड़ चौदह लाख तेरानवे हजार नौ सौ अठानवे) मात्र जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में CA एवं NPV मद में कुल राशि ₹ 10,38,23,452/- (रुपये दस करोड़ अड़तीस लाख तेईस हजार चार सौ बावन) मात्र मंत्रालय के वेबसाइट Parivesh.nic.in से E-Chalan Generate कर Bihar CAMPA के Account में NEFT Mode द्वारा दिनांक— 06.11.2023 को Fund Transfer किया जा चुका है जिसका UTR No. CNRBR52023110667056437 (E-Chalan एवं UTR की मूल प्रति संलग्न) है। प्रसंगाधीन पत्र (2) के भाग—A में उल्लेखित शर्तों 1-8 एवं भाग—B में उल्लेखित शर्तों 1-10 का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुरोध है कि राज्य उच्च पथ सं०- 99 (बायसी—बहादुरगंज—दिघलबैंक) पथ उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु (0+00 कि० मी० से 45+280 कि०मी०) तक Protected-Forest पथांश का वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

06-11-23
उप महाप्रबंधक (तक०)

Compliance Report to In-Principle Approval on Forest Land Diversion Proposal for Improvement / Widening & Strengthening Work of SH-99 (Balsi – Bahadurganj - Dighalbank road) from Ch.- 00.000 Km to 45.280 Km

Sl. No.	A:- Conditions which need to be complied	Compliance report
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (139 ha) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	In compliance to directions received from APCCF (CAMPAA) -cum- Nodal Officer (FC), EFCC, Department, Bihar, Patna vide letter no. 744, dt. 19.10.2023, Cost of CA amounting Rs. 3,23,29,494/- and charge against NPV amounting Rs. 7,14,93,958/- Total Amount of Rs. 10,38,23,452/- (Rupees Ten Crore Thirty Eight Lac Twenty Three Thousand Four Hundred Fifty Two) only has been deposited to Bihar CAMPAA account through RTG/NEFT after generating e-challan from e-portal (https://privesh.nic.in/) portal vide UTR No. CNRBR52023110667056437, dt. 06.11.2023. The copy of e-challan and UTR has been uploaded on e-portal. Original copy of e-challan and UTR is enclosed herewith this compliance report.
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 69.178 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol- I) dated 06/01/2022 in this regard.	
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPAA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	
4	The KML files of the area to be diverted and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details and submitting compliance report for seeking Stage-II approval.	To be uploaded by State Forest Department.
5	The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA Certificates issued from the District Collector, Purnea and Kishanganj have already been submitted to Forest Department. Copy of FRA Certificates enclosed.
6	A Muck-Disposal Plan should be prepared by User Agency to ensure that the muck/wastage generated should be disposed on in proper manner. Such plan, duly approved by the concerned DFO, should be submitted to this office before soliciting Working Permission.	The proposed alignment is entirely located in plain area having no scope of tunnelling, hill cutting and accordingly, no muck will be generated due to widening/upgradation of proposed road. However, some construction debris are likely to be generated which will be utilised (like levelling, making approach road, haul road, worker compound/construction yard etc.) in the project work and no disposal is required. Hence, no muck disposal plan is required.
7	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated- 28.03.2019.	Agreed
8	The Compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Agreed

CH

Compliance Report to In-Principle Approval on Forest Land Diversion Proposal for Improvement/Widening & strengthening work of SH-99 (Baisi-Bahadurganj-Dighalbank road) for Ch.- 00.000 Km to 45.280 Km.

Sl. No.	B:- Conditions which need to be complied	Compliance report
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 139 ha degraded forest land Site - 1. Matathan Fullidumar Teliyakhar etc. PF, Compartment No. 1802P, 1819P (Area: 65 ha) & 2. Katasakara PF, Compartment No. 1319, 1935, (Area: 74 ha) under Kaimur Forest Division at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Agreed
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	The user agency undertake to deposit additional NPV charged by State Government which becoming due after finalization of the same by Hon'ble Supreme Court of India.
4	Modern technology will be used to translocate to the extent possible only those trees (having girth less than 60 cm) which are unavoidable and needs to be removed so that minimum numbers of trees are felled.	Agreed
5	User Agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. Further, in view of the large number of trees affected for the project, such number of trees whose removal is unavoidable, and whose translocation (species, number and girth to be decided by SFD) is practicable, will be translocate to the extent possible at the cost of user agency.	Agreed
6	The State Forest Department should raise strip plantation on both sides of the road as per the IRC norms.	Agreed
7	(a) The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construction activities do not damage the nearby forest flora and fauna. (b) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Agreed
8	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	Agreed

9	<p>(a) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.</p> <p>(b) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life / requirement.</p> <p>(c) The forest land proposed to be diverted shall under no. circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of the Ministry of environment, Forest & Climate Change.</p>	Agreed
10	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed


 06.11.23
D.G.M. (Tech.)
BSRDCL
PIU-Katihar at Purnea

AGENCY COPY

 Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 01-11-2023

Agency Name	BIHAR STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION
Application No.	6121381871
MoEFISG File No.	FPBR/ROAD/21381/2916
Location	BIHAR
Address	BSRDCL Ltd., Project Implementation Unit- Madhepura Madhepura
Amount(In Rs)	103823452/-

Amount in Words : Ten Crore Thirty-Eight Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UDIN0996335
Pay to Account No.	150626121381871 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 25/1, B Floor, Jyoti Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

 Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 01-11-2023

Agency Name	BIHAR STATE ROAD DEVELOPMENT CORPORATION
Application No.	6121381871
MoEFISG File No.	FPBR/ROAD/21381/2916
Location	BIHAR
Address	BSRDCL Ltd., Project Implementation Unit- Madhepura Madhepura
Amount(In Rs)	103823452/-

Amount in Words : Ten Crore Thirty-Eight Lakh Twenty-Three Thousand Four Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UDIN0996335
Pay to Account No.	150626121381871 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 25/1, B Floor, Jyoti Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

For Bihar State Road Dev. Corp. Ltd.

Abhishek Kumar
Manager (Tech.)

H Gunwar
BGM (Tech.) 01/11/23

UTR NO
CNRBR52023110667056437



कार्यालय, जिला पदाधिकारी, किशनगंज के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु
FRA-2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014
को निर्गत दिशा-निर्देश के तहत)

संख्या...983.../जि0रा0, दिनांक-...10.../...6.../2022

प्रमाणित किया जाता है कि किशनगंज जिला में प्रयोक्ता एजेंसी बिहार
स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा रैखिक परियोजना राज्य उच्च पथ
संख्या-99 (वायसी अमौर- बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ निर्माण स्थल कुल किलोमीटर
13.245 में पड़नेवाले पथ/नहर, तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 19.337 हे०
रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल
पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 1223, दिनांक 23.05.2022 द्वारा निर्गत FRA-2006
प्रमाण-पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना के लिए
अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों
से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के
गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की
अभिलिखत आबादी नहीं है।

स्थान :: किशनगंज

तिथि :: 09-06-2022

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

520

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No. 2492

Dated :- 09.12.2022


TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 49.841 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of B.S.R.D.C Ltd. P.LU-Katithar (name of user agency) for Road Upgrade/Widening SH-99 (Baisi-Amour-Bahadurganj-Dighalbank) Project (purpose for diversion of forest land) in Purnea District falls within jurisdiction of Rauta and Raiber Gram Panchayat(s) in Baisa tehsils/Anchal. and Rangraiya Lal Toli Gram Panchayat(s) in Amour tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 49.841 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...01.....to47.....annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have give their cosent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.


District Magistrate,
Purnea

सुहर्ष भगत, पा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता
पूर्णिया (बिहार)



Tel 06454-242501/242522
Fax 06454-242599
Email dm-purnea.bih@nic.in

दूरभाष 06454-242501/242522 फोन 06454-242599/242522 ईमेल dm-purnea.bih@nic.in

पत्रांक-2491/सा0,

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया

पूर्णिया, दिनांक-09.02.2024

विषय :-

पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0-99 (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) के
उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 अन्तर्गत 49.841 हे0 वन
भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्र सं0-1346, दिनांक-06.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0-99
(बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
अन्तर्गत 49.841 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह- नोडल
पदाधिकारी (वन संरक्षण), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना का ज्ञापांक-505,
दिनांक-18.06.2021 के आलोक में FRA 2006 प्रमाण-पत्र मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु
भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभोजन

जिला पदाधिकारी
पूर्णिया

520

Form-I
(For Linear Projects)
Government Of Bihar
Office of the District Collector, Purnea

No. 2492

Dated :- 09.12.2022

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No.-11-9/98-FC (pt.) Dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 ('FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 49.841 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of B.S.R.D.C Ltd. P.I.U-Katithar (name of user agency) for Road Upgrade/Widening SH-99 (Baisi-Amour-Bahadurganj-Dighalbank) Project (purpose for diversion of forest land) in Purnea District falls within jurisdiction of Rauta and Raiber Gram Panchayat(s) in Baisa tehsils/Anchal and Rangraiya Lal Toli Gram Panchayat(s) in Amour tehsils/Anchal.

It is Further certified that-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 49.841 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure...to ...annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have give their cosent to it ;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

Encl: As Above.


District Magistrate,
Purnea

519

श्री सुहर्ष भगत, पा० प्र० से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 07.11.2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में ।

1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया - सदस्य
 2. अपर समाहर्ता, पूर्णिया - सदस्य
 3. अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी - सदस्य
 4. जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया - सदस्य
 5. श्री अशोक कुमार हौंसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-०८, (प्रखण्ड-धमदाह) - सदस्य
 6. श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-२४, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) - सदस्य
 7. श्रीमती मुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं०-२०, (प्रखण्ड-जलालगढ़) - सदस्य
- बैठक में उपरोक्त सभी सदस्य उपस्थित हुए ।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया । तद्पेरान्त जिला वनाधिकार समिति के दायित्वों एवं कर्तव्यों के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया ।

बैठक में पूर्णिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी-अनौर-बहादुरगंज-दिमलबैंक) पथ के उन्नयन/बीड़ीकरण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-१९८० अन्तर्गत ४९.८४१ हे० वन घूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-२००६ प्रमाण पत्र निर्गत करने के निमित्त पंचायत, प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्राप्त पारित प्रस्ताव/अनापत्ति पर उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया गया ।


प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत रौटा एवं राचबेर के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा तथा ग्राम पंचायत रंगरैया लाल टोली के प्रस्ताव को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमीर द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को उपलब्ध कराया गया । ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव/अनापत्ति को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष, अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रस्ताव हस्तगत कराया गया ।


बैठक में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी से प्राप्त ग्राम पंचायत स्तरीय प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गयी तथा प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने एवं उक्त परियोजना के निमित्त FRA-२००६ प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहमति दी गयी ।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्ता, पूर्णिया को उक्त परियोजना के निमित्त FRA-२००६ प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अविलम्ब संचिका उपस्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।


प्रभासी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
पूर्णिया
07/11/22



अपर समाहर्ता
पूर्णिया



जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

ज्ञापांक - 2351 / सा0, पूर्णिया दिनांक - 28.11.2022

- प्रतिलिपि :- श्रीमती सुलेखा देवी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-20, (प्रखण्ड-जलालगढ़) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- श्री संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-24, (प्रखण्ड-पूर्णिया पूर्व) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार हॉसदा, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र सं0-08, (प्रखण्ड-धमदाहा) को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेसा एवं अमौर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना को उनके ज्ञापांक-505, दिनांक-18.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रभारी पदाधिकारी
 जिला सामान्य शाखा
 पूर्णिया


अपर समाहर्ता
 पूर्णिया


 जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
 जिला वनाधिकार समिति, पूर्णिया

कुमारी तोसी, बि०प्र०से०
अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णिमा) MOB-9473191362



Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Purnea) (Email-sdo.baisi@gmail.com)

3854 (78) 513
13/10/22

पत्रांक..... 4414

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिमा।

बायसी दिनांक- 08/10/22

राज्य उच्च पथ सं०-99 (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ के
उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिमा जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि
का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति गठन के संबंध में।
जिला पदाधिकारी महोदय पत्रांक-1651/सा०, दिनांक-01.08.22

प्रसंग :-

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक पत्र के संबंध में सूचित करना है, कि SM-99
(बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु पूर्णिमा जिलान्तर्गत अपयोजित
होने वाली वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा
नियम, 2008 के तहत समिति का गठन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर के पत्रांक-877,
दिनांक-13.09.22 में प्रतिवेदित किया है कि पलसा ग्राम अन्तर्गत वार्ड सं०-01, 02 एवं 03 में अनुसूचित
जनजाति की आबादी उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जाति उपलब्ध नहीं रहने के कारण वन निवासी (वन
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन संभव नहीं है।
अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासमाजन,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी।

श्री रनजीत कुमार सिंह,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

अमौर (पूर्णिमा)



Shri Ranjeet Kumar Singh,

Block Development Officer,

Amour (Purnima)

मोबाईल नं०- 9431818336,

E-mail ID- bdo.amour@gmail.com

पत्रांक.....११७...../

सेवा में,

अनुसूचित पदाधिकारी,
बापसी।

अमौर, दिनांक 13/08/2022

विषय :- प्रखंड अमौर अन्तर्गत ग्राम पलसा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन से संबंधित कार्यवाही का प्रेषण।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिमा के पत्रांक 1651/सा0, दिनांक 01.08.2022
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक राज्य उच्च पथ सं०- 99 (बापसी-अमौर-बाहुपुरगंज-दिधलबैंक) पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिमा जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति का गठन की कार्यवाही की गई, जो निम्नवत् है :-

कार्यवाही पंजी के अनुसार :-

1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर की अध्यक्षता में पलसा ग्राम अन्तर्गत चार्ड सं०- 01, 02 एवं 03 के ग्राम पंचायत सदस्य एवं संबंधित ग्राम पंचायत रंगरैया तालपोली के मुखिया के साथ पलसा ग्राम में बैठक कर अनुसूचित जनजाति की उपलब्धता/आबादी से संबंधित जानकारी ली गई। सभी के द्वारा बताया गया कि संबंधित पलसा ग्राम में अनुसूचित जनजाति की आबादी उपलब्ध नहीं है।
2. अनुसूचित जनजाति उपलब्ध नहीं रहने के कारण वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के तहत समिति का गठन संभव नहीं है।

अतः ग्राम पलसा में आयोजित ग्राम सभा की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनाएँ समर्पित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
अमौर (पूर्णिमा)।

अज्ञान दिनांक :- 02.09.2022

व्यक्ति का नाम :- [unclear] पत्नी सा. [unclear] [unclear]
अज्ञान की अवधि 2000-00 पत्र [unclear] [unclear]
पत्र संख्या: [unclear] पत्र के अन्तर्गत [unclear] [unclear] का
है। अज्ञानों अज्ञानता, अज्ञानता होनेवाली वगैरे का
अज्ञानता, अज्ञानता पत्र F.R. नि-2006 के तहत अज्ञान-पत्र
निगत कागजों पर अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता [unclear]
अज्ञानता अज्ञानता (अज्ञानता अज्ञानता) अज्ञानता [unclear]
अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता
अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता
अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता

[Signature]
अज्ञानता अज्ञानता
अज्ञानता

1. अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता — अज्ञानता अज्ञानता
2. अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता — अज्ञानता अज्ञानता (अज्ञानता अज्ञानता)
3. अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता — अज्ञानता अज्ञानता (अज्ञानता अज्ञानता)
4. अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता अज्ञानता — अज्ञानता अज्ञानता (अज्ञानता अज्ञानता)

कुमारी तोसी, बि०प्र०से०
अनुमण्डल पदाधिकारी, बायसी
(पूर्णिमा) MOB-9473191362



Kumari Tosi, (B.A.S)
Sub-Divisional Officer, Baisi
(Purnea) (Email-sdo.baisi@gmail.com)

3859
13/10/22
514
24

पत्रांक 4413

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
पूर्णिमा।

बायसी दिनांक- 08/10/22

18/10/22
प्रभारी पदाधिकारी
जिला सामान्य शाखा
पूर्णिमा
श्री चंद्र
13/10/22

राज्य उच्च पथ सं०-९९(बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ के
उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य हेतु पूर्णिमा जिलान्तर्गत अपयोजित होने वाली वन भूमि
का अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत समिति गठन के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला पदाधिकारी महोदय पत्रांक-1651/सा०, दिनांक-01.08.22

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है, कि पूर्णिमा जिलान्तर्गत
पनरपुर मौजा के थाना रौटा में SM-९९ पथ (बायसी-अमौर-बहादुरगंज-दिघलबैंक) पथ के
उन्नयन/चौड़ीकरण एवं बैसा मौजा के थाना-रौटा SM-९९ पथ के (बायसी, अमौर, बहादुरगंज, दिघलबैंक)
पथ के उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण-पत्र निर्गत
करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा के पत्रांक-1338,
दिनांक-08.09.22 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत-रौटा एवं पत्रांक-1365, दिनांक-09.09.22 द्वारा ग्राम
पंचायत-रायबेर में वन अधिकार समिति के गठन से संबंधित बैठक की कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराई
गई एवं अनुमंडल स्तरीय उप-खण्ड स्तर की वन अधिकारी समिति से संबंधित बैठक की कार्यवाही की
प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी।

512
(क)

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

10-09-2022
अनुमंडल पदाधिकारी
बैसा

अनुमंडल पदाधिकारी
बैसा

अनुमंडल पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

बैसा/दिनांक 09-09-2022

अनुमंडल पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ) के शासक सं. SM-99 एवं जिला प्रशासन अमीर, बहादुरगंज एवं दिहालबंज पथ के उन्नयन/बांड़ीकरण का हेतु एवं ग्राम विकास प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण एवं निर्गत करण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य परम्परागत वन विधायी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के तहत समिति का गठन कर

अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक-1881/सा0 पूर्णियाँ, दिनांक-01.08.2022

अनुमंडल पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ) के शासक सं. SM-99 एवं जिला प्रशासन अमीर, बहादुरगंज एवं दिहालबंज पथ के उन्नयन/बांड़ीकरण का हेतु एवं ग्राम विकास प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण एवं निर्गत करण के लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य परम्परागत वन विधायी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के अलावा ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर

कृपया प्राप्ति स्वीकार कि जाए।

अनुमंडल पदाधिकारी - दधीर

विशवासभाषण

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

511-
21

परियोजना का नाम-

राज्य उच्च पथ सड़क-५९ (बायसी, अमौर, बहादुरगंज एवं दिघलदेख) पथ के
संनयन/ चौड़ीकरण कार्य हेतु भूमि का उपयोग प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम 2012 के
अंतर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- रायबेहर

अंचल- बैसा, जिला - पूर्णिया
अनापति प्रमाण पत्र

बिहार में जिला - पूर्णिया, प्रखण्ड- बैसा, पंचायत- रायबेहर, में बायसी, अमौर, बहादुरगंज एवं दिघलदेख
पथ के संनयन/ चौड़ीकरण पथ हेतु (शुन्य 00 किमी⁰) आरक्षित वन भूमि 0 (शुन्य) है। सिद्धित जायम भूमि
0 (शुन्य) तथा वन पंचायत भूमि 0 (शुन्य) है अर्थात् कुल भूमि 0 (शुन्य) है। वन भूमि का लोक निर्माण के
पत्र में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापन करने हेतु आवंटन प्रस्तुत किया गया है।
उक्त प्रण के विषय में ग्राम पंचायत रायबेहर द्वारा दिनांक 08.09.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत
की बैठक में पंचायत सचिव एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि के सम्बंध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करके
हए विलुप्त जानकारी थी गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संसोधन नियम
2012 के प्रावधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया
जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना क निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत
अधिकार का हानन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया
गया/ प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम बैसा (पंचायत-रायबेहर) के निवासियों को उक्त वन भूमि
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।
प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
8/9/22

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत रायबेहर
प्रखण्ड-बैसा, पूर्णिया

[Signature]
मुखिया
ग्राम पंचायत रायबेहर
प्रखण्ड-बैसा (पूर्णिया)

[Signature]
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णिया)

ग्राम पंचायत शाह अशोक
पुरवाड लेखा
जिला पुरवाडा

विषय " शाह अशोक " पंजीकरण
दिया गया है।
दिनांक - 08 09 2022 ई

प्रमाणित किया जाता है
कि इस पंजी में कुल 13 पन्ने हैं।

मुखिया
पुरवाडा
विकास मित्र
अशोक

जिसका पदाधिकारी सुविधियों के पत्रांक-
 दिनांक 01-08-2022 के द्वारा अनुसूचित
 जनजातों और परम्परागत जन निवासी
 (जन अधिकारों की मांग) अधिनियम 2004
 तथा नियम 2008 के भागों में आज दिनांक 08.08.22
 को गण (गण) की लैक की गई।

जिसके ड.म. 99 बादक काबली अर्थात्
 महाशक्ति विद्यलय के पत्र के उन्नयन/नियोजन कार्य
 के लैक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचारणा/
 ओ लीचे लिखते हैं -

श्री एनकारी मराठी अध्यक्ष

श्री संजय महालडा सह-अध्यक्ष

श्री अंकुश महालडा

श्री अशोक लाल महालडा

श्री अश्विनी देवी मुर्मू

श्री हरिलाल महालडा

श्री निरंजन महालडा

श्री अशोक महालडा







श्री अशोक

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...

1	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	9	 एकलिंग प्रणाली
2	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	10	 एकलिंग प्रणाली
3	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	11	 एकलिंग प्रणाली
4	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	12	द्विलिंग
5	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	13	द्विलिंग
6	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	14	द्विलिंग
7	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	15	द्विलिंग
8	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	16	द्विलिंग
9	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	17	द्विलिंग
10	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	18	द्विलिंग
11	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	19	द्विलिंग
12	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	20	 एकलिंग प्रणाली
13	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	21	Rhizom
14	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	22	 एकलिंग प्रणाली
15	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	23	 एकलिंग प्रणाली
16	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	24	Parasitism
17	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	25	Parasitism
18	एक कण - एकलिंग - एकलिंग प्रणाली	26	Parasitism

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

101	विद्युत्	101	विद्युत्
102	विद्युत्	102	विद्युत्
103	विद्युत्	103	विद्युत्
104	विद्युत्	104	विद्युत्
105	विद्युत्	105	विद्युत्
106	विद्युत्	106	विद्युत्
107	विद्युत्	107	विद्युत्
108	विद्युत्	108	विद्युत्
109	विद्युत्	109	विद्युत्
110	विद्युत्	110	विद्युत्
111	विद्युत्	111	विद्युत्
112	विद्युत्	112	विद्युत्
113	विद्युत्	113	विद्युत्
114	विद्युत्	114	विद्युत्
115	विद्युत्	115	विद्युत्
116	विद्युत्	116	विद्युत्
117	विद्युत्	117	विद्युत्
118	विद्युत्	118	विद्युत्
119	विद्युत्	119	विद्युत्
120	विद्युत्	120	विद्युत्

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

180 विद्युत्
 181 सुशोभनी
 182 सुशोभनी
 183 सुशोभनी
 184 सुशोभनी
 185 सुशोभनी
 186 सुशोभनी
 187 सुशोभनी
 188 सुशोभनी
 189 सुशोभनी
 190 सुशोभनी
 191 सुशोभनी
 192 सुशोभनी
 193 सुशोभनी
 194 सुशोभनी
 195 सुशोभनी
 196 सुशोभनी
 197 सुशोभनी
 198 सुशोभनी
 199 सुशोभनी
 200 सुशोभनी

1. 10/10/10/10

2. 10/10

3. 10/10

4. 10/10/10

5. 10/10/10

6. 10/10/10/10

7. 10/10/10

8. 10/10/10

9. 10/10/10

10. 10/10/10

11. 10/10

12. 10/10/10

13. 10/10/10

14. 10/10/10

15. 10/10/10

16. 10/10/10

17. 10/10/10

18. 10/10/10

19. 10/10/10/10

20. 10/10/10/10

21. 10/10/10/10

22. 10/10/10

23. 10/10/10

24. 10/10/10

25. 10/10/10

26. 10/10/10

27. 10/10/10

28. 10/10/10

29. 10/10/10

30. 10/10/10

239 [blot] 239

240 [blot] 240

241 [blot] 241

242 [blot] 242

243 [blot] 243

244 [blot] 244

245 [blot] 245

246 [blot] 246

247 [blot] 247

248 [blot] 248

249 [blot] 249

250 [blot] 250

251 [blot] 251

252 [blot] 252

253 [blot] 253

254 [blot] 254

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

गायीलय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

59 499

07/09/22

पत्रांक 1338

प्रिबक

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
बायसी (पूर्णियाँ)

बैसा/दिनांक 6.9.22

विषय :- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनखूर मौजा के थाना - सैटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैंक पथ के उन्नयन/घौड़ीकरण पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संसोधन नियम 2012 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक-1651/सा/ पूर्णियाँ, दिनांक-01.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनखूर मौजा के थाना-सैटा में SH-99 पथ के किनारे बायसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैंक पथ के उन्नयन/घौड़ीकरण पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संसोधन नियम 2012 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर भेजी जा रही है।
कृपया प्राप्ति स्वीकार कि जाए।

अनुमानक - यथोक्त

विश्वासमाजन

07/09/2022
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा (पूर्णियाँ)

59 499

07/09/22

पत्रांक 1338

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
बागसी (पूर्णियाँ)

बैसा / दिनांक 6.9.22

विषय :- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनखूर मौजा के थाना - रौटा में SH-99 पथ के किनारे बागसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैंक पथ के उन्नयन/ चौड़ीकरण पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संशोधन नियम 2012 के तहत समिति का गठन के संबंध में।

प्रमाण :- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक-1651/साठ पूर्णियाँ, दिनांक-01.08.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कहना है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पनखूर मौजा के थाना-रौटा में SH-99 पथ के किनारे बागसी, अमीर, बहादुरगंज एवं दिघलबैंक पथ के उन्नयन/ चौड़ीकरण पथ हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर FRA-2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2008 संशोधन नियम 2012 के आलोक में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में वन अधिकार समिति का गठन कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार कि जाए।

अनुलग्नक - यथास्त

विश्वासभाजन

6/9/2022
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
बैसा (पूर्णियाँ)

परियोजना का नाम-

राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी, अमौर, बहादुरगंज एवं दिपलबैंक) पथ के उन्नयन/घोड़ीकरण कार्य हेतु भूमि का अपयोजन प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- रौटा

अंचल :- बैसा, जिला :- पूर्णिया

अनापति प्रमाण पत्र

बिहार में जिला- पूर्णिया, प्रखण्ड- बैसा, पंचायत- रौटा में बायसी, अमौर, बहादुरगंज एवं दिपलबैंक पथ के उन्नयन/घोड़ीकरण पथ हेतु (शुन्य :00 कि०मी०) अरक्षित वन भूमि ० (शुन्य) है। सिविल सायन भूमि ० (शुन्य) तथा वन पंचायत भूमि ० (शुन्य) है। अर्थात् कुल भूमि ० (शुन्य) है। वन भूमि का लोक निर्माण के पथ में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौटा द्वारा दिनांक 03.09.2022 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत सचिव एम.एन.सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करते हेतु विस्तृत जानकारी दी गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधन नियम 2012 के प्रावधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अध्या गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर आदिवासियों के परम्परागत अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। परंतु राज्य उच्च पथ सं०-९९ (बायसी, अमौर, बहादुरगंज एवं दिपलबैंक) पथ के उन्नयन/घोड़ीकरण के काम में लगभग 25 अनुसूचित जाति के परिवार जो पथ सं०-९९ के किनारे घर बनाकर निवास कर रहे हैं, प्रभावित होंगे। चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम धनरपुर (रौटा) के निवासियों को उक्त वन भूमि परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।


पंचायत
सचिव

ग्राम पंचायत राज रौटा
प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णिया

रूपत जयें
मुखिया
ग्राम पंचायत राज रौटा
प्रखण्ड-बैसा, जिला-पूर्णिया

Ar

"ग्राम सभा"

मिला. पंचायतकार्य. पूर्णियाँ के पत्रांक 1851. दिनांक 04-09-2002 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और परम्परागत कमवासी (वन अधिकारों की दायरे में) अधिनियम 2006 तथा नियम 2006 के आलोक में आज दिनांक 03-09-22 को सुबिमा जी श्रीमति रजत जहाँ जी की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित किया गया।

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:-
प्रस्ताव संख्या- पंचायत वन अधिकार सचिवालय का गठन किया गया। जिसमें ग्राम सभा की सर्वसम्मति से निम्न लिखित व्यक्ति शामिल किये गये हैं।

क्र.सं.	नाम	पद	स्थिति
(1)	कमल लाल हरिजन	अध्यक्ष	स्थित
(2)	शैली रंजन	सचिव	स्थित
(3)	ज्योतिष हरिजन	सदस्य	स्थित
(4)	मनोज "	"	स्थित
(5)	देवीसास "	"	स्थित
(6)	महारी देवी	सदस्य	स्थित
(7)	मौदनी देवी	"	स्थित
(8)	रंजी देवी	"	स्थित
(9)	अनिता देवी	"	स्थित

(10) गुल्ली रेवी

प्रदिक नवका

प्रस्ताव सं. 034- वन अधिकार सुविधि प्राप्ति की कन्दा एमल हरिजन तथा सखिव श्री रेवीर कुंगर नाम को सर्व सुविधि है - गुना गमा।

प्रस्ताव सं. 032- ग्राम सभा की बैठक में प्रमोकरा हेजेवी द्वारा आवेदित वन सुविधि के संबंध में जनजाति प्रमोबा पर निर्णय लेने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह वन अधिकार अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन सुविधि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कला/कृषि कार्य नहीं है।

* उपर्युक्त शर्तों का हलका है।
* * * * *
* * * * *

(1) लतीश कुमार हरिद

(2) रामचन्द्र राम

(3) विठ्ठल कुं


(4)  हरिजन

(5)  हरिजन

(6)  हरिजन

(7)  हरिजन

(8)  हरिजन

(1)  अग्नि-वसोदेवी

(2) अग्निदेवी

(3) अर्द्धा देवी

(4) सुरेन्द्र देवी

(5) मीन देवी

(6) रेखा देवी

(7) हीन की देवी

(8)  अग्नि-सुलो देवी

(9)  अग्नि-सुलो देवी

(10)

(11) विष्णु

(12) सुमेधा हरिजन

(13) रणवीर कुमार

(14) मनीष देवना

(15)  अग्नि-सुलो देवी

(16)  अग्नि-सुलो देवी

(17)  अग्नि-सुलो देवी

(18) महेन्द्र लाल हरिजन

22 [blacked out] इलाहाबादी

23 अनासकी

24 [blacked out] आ गि
दिलाल हरिजन

25 विनायकनाथ हरजग

चारिक हरिजन

26 [blacked out]

27 [blacked out] साहस साधन

28 [blacked out] आ गि इलाहाबादी

29 [blacked out] आ गि
इलाहाबादी

30

31 रिंकी देवी

32 गुलाबी देवी

33 अरिना देवी

34 [blacked out] अरिना
विमला देवी

35 मनरुल

36 मोरमोहन

37 शशा रानी

38 विमल राम

44 सुरेश कुमार

45 अक्षय कुमार

46 [Redacted] देवी देवी

47 [Redacted] देवी देवी

48

49 [Redacted] देवी देवी

50 [Redacted] देवी देवी

51

52 अक्षय कुमार देवी

53 [Redacted] देवी देवी

54

55 [Redacted] देवी देवी

56

श्री. सुभाष

57

58 रेणु देवी

59 [Redacted] देवी देवी

60 दिनेश कुमार

61 Shivaraj

1) andab Akhtar (विश्वकर्मा की म. 12)

2) काशीधर 8

3) मन्ना प्रसाद गुरुदास 14

4) Sankar Kumar Karanand Sankar Das 15

5) फूलचंद 17

6) गोड गोपालजी 18

7) सांघिया देवी 19

8) Ajay Kumar 20

9) अशोक 21

10) मोहन 22

11) जय अरारी 23

12) अमर गजराज 24

13) रंजित कुं राव 25

14) राठक 26

15) इश जाम 27

16) [blacked out]

[blacked out]

[blacked out]

श्री 01

श्री 02

श्री 03

श्री 04

1) श्री मनसुख

2) श्री. रमेश
सहारा बंगला

3) श्री. अ. वि.
दुर्गा स्वालय

4) श्री. अ. वि.
संघनाथ

5) राजा

6) विठ्ठल देवी

7) श्री. अ. वि. मंसूर

8) सतीश साहू (बड़े साहू वार्ड नं. 10/1/1)

9) विना. देवी

10) श्री. देवी

11) म. दे. न. आ. न.

12) जरीना देवी

13) Rohit Kumar Ram.

14) Bawa

15) मीनाश म. सि. व.

16) सुमन कुमारी

- 95 लडा खारी
- 96 राधिका कुमारी
- 97 कविता कपूर
- 98 आर्य सुखल खत्री
- 99 अर्जुन विवेकानंद
- 100 अ. वि. अज्ञात
- 101 अर्जुन अज्ञात
- 102 प्रदीप शर्मा
- 103 अरुण कुमार
- 104 राहुल कुमार
- 105 अर्जुन सुखल
- 106 अर्जुन सुखल
- 107 अर्जुन सुखल
- 108 अर्जुन सुखल
- 109 अर्जुन सुखल
- 110 अर्जुन सुखल
- 111 अर्जुन सुखल

112 विद्यामती

113 अफरीज

114 वासिष्ठ

115 [Redacted] अग्नि
इन्द्राणा

116 सुरमहेश्वर देवा

117 [Redacted] इन्द्राणा
सायना खड्गे

118 सायना

119 [Redacted] इन्द्राणा
इन्द्राणा

120 अलमारी

121 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

122 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

123 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

124 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

125 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

126 [Redacted] इन्द्राणा
सायना

127 करुणादेवी

133 आरती देवी

134 प्रिये देवी

135 [blacked out] २.१७
[blacked out]

136 [blacked out] [blacked out]

137 [blacked out] मु. पा. पा. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२.

138 [blacked out] [blacked out]

139 [blacked out] [blacked out]

140 [blacked out] [blacked out]

141 श्याम डालम

142 सैदी प्रकृमा २ रव

143 लता देवी

144 रूपा देवी

145 विनायक जयसिंह

146 Riupa Devi

147 Nani kumar

148 Anil Kumar

149 [blacked out]

48
A

[The left side of the page is heavily obscured by a dark, vertical shadow or scan artifact, rendering the text illegible.]

जाति
यादा
दा से
सभी
इसके
री
माय

(160) हाशीम

(161) सलमान

(162)  सवली कुमर

(163)  परशुराम

(164) मो.मानुज

(165) मो.मधुब

(166) मुकेश

(167) गोपीक. उयल

(168) 

(169) अजय कुमार लोबा

(170)  सुभा

(171)  लीन

(172)  वीणा देवी

(173)  रमन देवन

(174) मनीज कुमर

(175) शेखी सीता

(176) सप्रेम देव

(80) लड्डू ली साहित्य

(81) इकबाल

(82) जाली

(83) [blacked out]

(84) [blacked out]

(85) [blacked out]

(86) [blacked out]

(87) सरफ़ाज आलम

(88) बल्लेचीन

(89) आठ न नील

(90) यूनव आलम

(91) [blacked out]

(92) [blacked out]

(93) [blacked out]

(94) [blacked out]

(95) Kaiser Khan

(96) नौकान आलम

1 (18) काहीन प्रवीण

(19) सुरमना

(20) कानुसाहेब

(21) अंबरदार आलम

(22)

(23)

(24)

(25) मंडे इंदरदार आमण

(26) Raju Sonar

(27)

(28)

(29) जवाहर सोनार

(30)

(31) Manikam Dew

(32) धारी देव

(33) सोनार देवी

(34) सुमरिया जलाम

- (17) [unclear]
- (18) [unclear]
- (19) [unclear]
- (20) [unclear]
- (21) Noor Khan
- (22) [unclear]
- (23) [unclear]
- (24) [unclear]
- (25) [unclear]
- (26) [unclear]
- (27) [unclear]
- (28) [unclear]
- (29) [unclear]
- (30) [unclear]
- (31) [unclear]
- (32) Shaker Khan
- (33) [unclear]
- (34) [unclear]
- (35) [unclear]
- (36) [unclear]
- (37) [unclear]
- (38) [unclear]
- (39) [unclear]
- (40) [unclear]

231 Md: Haroon

232 Asif

233 Zubair

234 Naim


235 Anwar

236 ~~Asif~~

237 RAHIL

238 Raza Khatun

239 ~~Asif~~

240  Anamika Gulshah Khanum

241  Anamika Khanum

242 ~~Asif~~

243 ~~Asif~~

244 ~~Asif~~

245  Anamika Khanum

246  Anamika Khanum

247  Anamika Khanum

19) जेजाला देवी

20) ~~रामदास~~ रामदास

21) ~~का. वि.~~ का. वि.
जीवी हसीना

22) ~~केशवदास~~ केशवदास

23) ~~का. वि.~~ का. वि.
वीणा देवी

24) ~~का. वि.~~ का. वि.
प्रा. प्रसाद सोनार

25) मदन लखन सोनार

26) ~~चंद्रिका~~ चंद्रिका देवी

27) ~~विद्यादास~~ विद्यादास

28) ~~का. वि.~~ का. वि.
आशीषा केशव

29) ~~का. वि.~~ का. वि.
कृष्णा कुमर

30) ~~का. वि.~~ का. वि.
गणपत सिंह

31) ~~का. वि.~~ का. वि.
रविश केशव

32) ~~का. वि.~~ का. वि.
प्र. वि. देवी

33) ~~सेवा~~ सेवा देवी

34) ~~का. वि.~~ का. वि.
सती केशव

- 264 [blacked out] प्रारंभिक
- 265 [blacked out] प्रारंभिक
- 266 [blacked out] प्रारंभिक
- 267 [blacked out] प्रारंभिक
- 268 [blacked out] प्रारंभिक
- 269 [blacked out] प्रारंभिक
- 270 [blacked out] प्रारंभिक
- 271 [blacked out] प्रारंभिक
- 272 [blacked out] प्रारंभिक
- 273 [blacked out] प्रारंभिक
- 274 [blacked out] प्रारंभिक
- 275 [blacked out] प्रारंभिक
- 276 [blacked out] प्रारंभिक
- 277 [blacked out] प्रारंभिक
- 278 [blacked out] प्रारंभिक
- 279 [blacked out] प्रारंभिक
- 280 [blacked out] प्रारंभिक

- (281)
- (282)
- (283)
- (284)
- (285)
- (286)
- (287)
- (288)
- (289)
- (290)
- (291)
- (292)
- (293)
- (294)
- (295)
- (296)
- (297)

दिनांक

पृष्ठ

281. ...
 282. ...
 283. ...
 284. ...
 285. ...
 286. ...
 287. ...
 288. ...
 289. ...
 290. ...
 291. ...
 292. ...
 293. ...
 294. ...
 295. ...
 296. ...
 297. ...

29) [blacked out] अरिषा अरिषा

30)

31)

32) [blacked out] अरिषा अरिषा

33)

34) [blacked out] अरिषा अरिषा

35)

36) [blacked out] अरिषा अरिषा

37)

38) [blacked out] अरिषा अरिषा

39)

40) [blacked out] अरिषा अरिषा

41)

42) [blacked out] अरिषा अरिषा

43)

44) [blacked out] अरिषा अरिषा

45)

46) [blacked out] अरिषा अरिषा

47)

48) [blacked out] अरिषा अरिषा

(35) Agam

(36) Kalam

(37)

(38) ZAFAR

(39) सप्तोद्दीन

(320)

प्रस्ताव सं-०५:- वन अधिकार समिति द्वारा राज्याभिषेक से
 पूर्व (कापली, भमौर, कटादुगंज एवं दिखलवाँ) के अन्तर्गत
 नौडीकण के क्रम में लगभग एक अनुसूचित जाति स्त्री
 के समुदाय के प्रभावित परिवारों को सूचित पूर्ववाले
 की आंग किन्ना के साथ ही वन अधिकार समिति द्वारा
 सर्वसम्मति से पहापुर (खोरा) राज्य अन्तर्गत पहापुर
 (कापली, भमौर, कटादुगंज एवं दिखलवाँ) पंच के
 अन्तर्गत नौडीकण कार्य कराने हेतु सर्वसम्मति से
 सहमति दी गई।- कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया
 गया।

मुखिया जी श्रीमान् रफत जहाँ जी के
 सहसचिवनवाइ आपका के पत्रकार केंद्र की कार्यवाही
 समीप की गई

P. S. Singh
 पंच सचिव

रफत जहाँ
 मुखिया
 वन अधिकार समिति
 प्रखण्ड-वेतार, जिला-सुरीचों

A/15/11/12

श्रीमान् पंचायत राज सेवा
 प्रखण्ड-वेतार, जिला-सुरीचों

श्रीमान् पंचायत राज सेवा
 प्रखण्ड-वेतार, जिला-सुरीचों

आज दिनांक - 15/09/22 को अनुमंडल पदाधिकारी
बाबली की अध्यक्षता में पनरपुर मौजा के बाग. रौदा
में 5M-99 पंचके डिगरे (बाबली-अमौर-दिलतवेड) पंच के
उन्नयन/चौरीकरण कार्य एवं लैंदा मौजा के बाग-रौदा
5M-99 पंच के डिगरे (बाबली-अमौर-दिलतवेड) पंच के उन्नयन
चौरीकरण कार्य हेतु परियोजना के निम्न वन अधि
अपर्याप्त हेतु FRN-2006 के तहत प्रस्ताव पत्र निर्माण
करने के लिए अनुयुक्त और अन्य परंपरागत वन
नियमों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा
नियम 2008 के तहत अनुमंडल स्तर पर उप वन
स्तर की वन अधिकार समिति के जल एवं आपूर्ति के
संबंध में लैंड आडू की गई, जिसमें जिला पंचायत
वम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा लैंदा जल के लिए प्राप्ति
एवं प्रत्येक विकास पदाधिकारी लैंदा उपस्थित हुए।

15-09-22
अनुमंडल पदाधिकारी
बाबली

प्रत्येक विकास पदाधिकारी, लैंदा - 15/09/22

सदस्य - श्री शमशेर चौधरी (मुर्शिदाबाद) - 6/10/22
आ.सं. डी.नि.सं. - 900678944

सदस्य - श्रीमति रेणु देवी (पं.स. लल्लय) - 2/11/22
आ.सं. रौदा - 9631027653

सदस्य - श्री 0 डल्लासु दीन, (पं.स. लल्लय) - 15/09/22
आ.सं. लल्लय - 8084064325

प्रस्ताव-1) अनुसूचित पदाधिकारी, बाबली द्वारा उपस्थित प्रस्ताव विकास पदाधिकारी, बैरा एवं उपस्थित सदस्यों का हवाला दिया गया एवं SH-99 (बाबली-आर्.पं.विभाके) पत्र के अन्तर्गत/नियंत्रण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु FRA-2006 के तहत सर्व सम्पत्ति से अनुसूचित एलीव उप खण्ड स्तर की वन अधिगार शक्ति का गठन किया गया जो निम्नलिखित है

- (1) अध्यक्ष - अनुसूचित पदाधिकारी, बाबली
- (2) सदस्य - श्री सतेंद्र चौध, मुनिया (आ.पं.कनिष्ठा)
- (3) सदस्य - श्रीमति रेणु देवी (प.स.सहाय गौडा)
- (4) सदस्य - श्री ड.लज्जमुहीन (प.स.सहाय लम्हा)

प्रस्ताव-2) प्रस्ताव विकास पदाधिकारी, बैरा के पत्रांक-1365 दिनांक-06.09.22 द्वारा संबंधित मौजा-पनरपुर, धारा-शैला एवं पत्रांक-1365, दिनांक-09.09.22 द्वारा बैरा मौजा के धारा-शैला SH-99 (बाबली-आर्.पं.विभाके). पत्र के अन्तर्गत एवं नियंत्रण कार्य हेतु संबंधित सात-सत्रा की प्रति केंद्र में प्रस्तुत किया गया, जिन अनुसूचित एलीव उप-खण्ड शक्ति के समस्त आपत्ति/अनापत्ति के संदर्भ में प्रस्ताव रखा गया। किसी सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। भूमि के अधिग्रहण हेतु FRA-2006 तथा नियम के तहत SH-99 (बाबली-आर्.पं.विभाके) पत्र के अन्तर्गत/नियंत्रण कार्य हेतु अनापत्ति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव-3) वन अधिगार शक्ति द्वारा पनरपुर मौजा के धारा-शैला एवं बैरा मौजा के धारा-शैला में SH-99 बाबली-आर्.पं.विभाके) पत्र के अन्तर्गत/नियंत्रण कार्य हेतु किसी भी सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

Date _____
Page 13

सध्या-सकाळ ते साय आज की सकाळी
कार्यवाही समाप्त की जाती है।

15.05.24

अनुमोदित प्रशासिका
नाथली